

16.3.26 पत्रावली पेश। उम्रयपक्ष उपर। वदस पत्रा
 पर हुती गयी। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन
 का अख्ययन छिण गया। ग्राम पंचायत नाताजी
 का जेडा डारा प्रस्तुत निगरानी के साथ संलग्न
 पडा-भुल पत्रावली के परीक्षण ले स्पष्ट है कि
 पत्रावली में न तो संपंच के हस्ताक्षर का
 अंकन है, न ही निरीक्षण करने वाले वडि
 पंचों की कमिष्टि के हस्ताक्षर, उतरदारी
 मोटिल भी अहस्ताक्षरित है, इत्यादि।

पूर्ण पत्रावली ही अपूर्ण होकर, सक्षम
 आंधोरिटी के हस्ताक्षररहित है।

स्पष्ट है कि प्रथमतः पडा जारी कले
 समय पंचायतीराज नियम-1996 के सुसंगत
 नियमों एवं प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन
 किया गया है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर
 प्रथमतः पडा खारिज किया जाता है। निर्णय
 पुस्तक से लिखा जाकर शामिल मिलल
 है।

पत्रावली केवल शुभ्रा से नम्बर ले
 कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।
 निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास
 हुताय गपरा।

अति.जिला कलक्टर
 शाहपुरा